(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री जैसाजी निवासी पुरोहित वास भटाणा तहसील रेवदर जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 67 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.11.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि भटाणा निवासी पटवारी सुखदेव पुत्र श्री वीराराम पुरोहित के जॉईनिंग लेटर की प्रमाणित प्रति एवं उक्त पटवारी सुखदेव द्वारा जॉईनिंग के बाद में कौन–कौन सी पंचायतों में पदभार संभाला तथा इनके द्वारा किन–किन ग्राम पंचायतों में कितने नामांकन भरे, जिसमें कितना राजस्व प्राप्त हुआ, उसकी प्रमाणित प्रति एवं पटवारी सुखदेव द्वारा किन–किन ग्राम पंचायतों में कितने 91 के मुकदमें के नोटिस निकाले, जिसमें कितनी रसीद कटी व कितने लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, उसकी सम्पूर्ण जानकारी तथा पटवारी सुखदेव द्वारा पटवार पद पर रहते हुए कुल कितना वेतन उठाया है, उनके वेतन रसीद की प्रमाणित प्रति तथा पटवारी सुखदेव द्वारा नौकरी के दरम्याद कितनी सम्पत्ति लीगल व अनलीगल जोडी गई है। उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि भटाणा निवासी पटवारी सुखदेव पुत्र श्री वीराराम पुरोहित के जॉईनिंग लेटर की प्रमाणित प्रति एवं उक्त पटवारी सुखदेव द्वारा जॉईनिंग के बाद में कौन–कौन सी पंचायतों में पदभार संभाला तथा इनके द्वारा किन–किन ग्राम पंचायतों में कितने नामांकन भरे, जिसमें कितना राजस्व प्राप्त हुआ, उसकी प्रमाणित प्रति एवं पटवारी सुखदेव द्वारा किन–किन ग्राम पंचायतों में कितने 91 के मुकदमें के नोटिस निकाले, जिसमें कितनी रसीद कटी व कितने लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, उसकी सम्पूर्ण जानकारी तथा पटवारी सुखदेव द्वारा पटवार पद पर रहते हुए कुल कितना वेतन उठाया है, उनके वेतन रसीद की प्रमाणित प्रति तथा पटवारी सुखदेव द्वारा नौकरी के दरम्याद कितनी सम्पत्ति लीगल व अनलीगल जोडी गई है। उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	